न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः—राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः— 23 / 2018 प्रार्थना पत्र

उनवान

1—पारस पिता किशनलाल जाट निवासी गल्यावडी तहसील रायपुर ज़िला भीलवाडा राज.
2—अम्बालाल पिता लक्ष्मणलाल जाट निवासी गल्यावडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

प्रार्थीगण

बनाम

1—आसु पिता छोगा गुर्जर निवासी गल्यावडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.
2—हेमा पिता छोगा जाट निवासी गल्यावडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.
3—रामनिवास पिता रामचन्द्र महाजन निवासी कोशीथल तहसील सहाडा जिला भीलवाडा राज.
4—हीरा पिता अमरचन्द जाट निवासी गल्यावडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.
5—बालु पिता नेनु गाडरी निवासी गल्यावडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.
6—रतन पिता नेनु गाडरी निवासी गल्यावडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.
7—प्रेमी पुत्री भूरा जाट निवासी गल्यावडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित
1. जाकिर हुसैन — अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 22.06.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार / केम्प कोर्ट खेमाणा मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो कि कृषि आराजियात ग्राम गल्यावडी पटवार हल्का खेमाणा के बेरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 11 में अंकित आराज़ी संख्या 1535 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 1536 रकबा 0.14 है0 भूमि प्रार्थी संख्या एक व दो तथा खाता संख्या 12 में अंकित आराजी संख्या 1736 रकबा 1.08 है0 प्रार्थी संख्या दो के नाम दर्ज रेकार्ड है जो कुल किता 3 कुल रकबा 1.41 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में वर्तमान जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं। प्रार्थीगण की कृषि आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने की वजह से प्रार्थीगण को अपनी कृषि आराजियात में मवेशी चराने, घास काटने, फसल काश्त करने मे आए दिन विपक्षीगण से विवाद बना रहता है, तथा विपक्षीगण आए दिन प्रार्थीगण की कृषि आराजियात मे दखल अंदाजी करते रहते हैं। प्रार्थीगण ने अपनी भूमि का सीमा ज्ञान करवाया परंतु विपक्षीगण नही मान रहे है। जिससे प्रार्थीगण की कृषि आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण द्वारा कई बार विपक्षीगण को उनकी कृषि आराजियात की पत्थरगढी करवाने बाबत् कहा परंतु विपक्षीगण हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे व अंतिम बार प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को उनकी कृषि आराजियात की पत्थर गढी करवाने बाबत् दिनांक 20.03.2018 को कहा तो

विपक्षीगण इंकार हो गए, जिससे प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 24.04.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या चार से सात बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। विपक्षी संख्या एक उपस्थित जिन्होनें पत्थरगढी करवाने में कोई आपत्ति नहीं की है। विपक्षी संख्या दो व तीन के विरूद्ध प्रार्थीगण के अधिवक्ता कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम गल्यावडी पटवार हल्का खेमाणा के बेरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 11 में अंकित आराजी संख्या 1535 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 1536 रकबा 0.14 है0 भूमि प्रार्थी संख्या एक व दो तथा खाता संख्या 12 में अंकित आराजी संख्या 1736 रकबा 1.08 है0 प्रार्थी संख्या दो के नाम दर्ज रेकार्ड है जो कुल किता 3 कुल रकबा 1.41 है0 भूमि स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 200/– अक्षरे दो सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 800/– अक्षरे आठ सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 22.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा